फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

5/75 छाजूराम बनाम ...

केस संख्या : 28/21

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/9/25	... की पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट ... एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/9/25 को पेश हो।
	17/09/2025	पत्रावली प्रस्तुत/ वि.प. उप/ कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार जालसू से प्राप्त हो चुके है तहसीलदार जालसू की कुरेजात रिपोर्ट पर बहस सुनी उपपक्ष की गई/ कोई आपत्ति उपपक्ष को नहीं है अतः वाद तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुरेजात के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:53:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 20/2021 वाद प्रस्तुति दिनांक – 15.02.2021

छाजूराम पुत्र स्व० श्री नानगराम जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

............वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र लादू (लापता) जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति बागंडा निवासी ग्राम चक जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 88, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 17.09.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी' खसरा नम्बर 55/19 रकबा 0.54 हैक्टेयर वाके ग्राम चक जयसिंहपुरा पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हैं उक्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात में पूर्वाधिकारियों के समय से आज तक दिनांक तक कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी स्वयं तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की आराजीयात पर कब्जे काश्त में होकर उपयोग उपभोग कर रहा हैं वादी का पिता नानगराम का स्वर्गवास हो जाने से उनके स्थान पर उसके वारिस द्वारा उक्त वाद पेश रफ्त है, वादी के पिता की विरासत का नामान्तकरण नही खोला गया है। वादी के पिता व चाचा प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजीयात में वर्णित खातेदार वादी का चाचा व प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश उर्फ जग्गू वादी व उसके पिता के साथ ही रहता था वही उसकी देखभाल करता था। वादी का पिता का भ्राता जगदीश उर्फ जग्गू पुत्र लादूराम सन् 1985 के माह से ही अर्द्ध विक्षिप्त अवस्था में पलायन कर गया था एवं 35 साल से भी अधिक समय गुजर जाने के बाद भी नहीं मिलने से जगदीश प्रसाद की मृत्यु होने की कानूनी अवधारणा है एवं वादी के पिता के भ्राता जगदीश की मृत्यु की अवधारणा के पश्चात् वादी ही उसके सम्पूर्ण हिस्से की आराजीयात का खातेदारी का कानूनन अधिकारी हैं। इसलिए वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की अधिकारी की घोषणा का वाद का अधिकार हैं। वादी के सगे भ्राता जगदीश प्रसाद के गत करीब 35 सालं से विक्षिप्त अवस्था में ग्राम से पलायन करने की वजह से यह कानूनी अवधारणा है कि वादी के पिता के भ्राता एवं वादी का चाचा जगदीश प्रसाद की मृत्यु बाबत् कानूनी अवधारणा होने से वादी अपने पिता के आता जगदीश प्रसाद का एकमात्र कानूनी अधिकारी होने से उसके हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी हैं। क्योंकि वादी के पिता का भ्राता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:23 IST
Reason: SelfAttested

जगदीश प्रसाद का एकमात्र कानूनी वारिस वादी के अलावा अन्य कोई नही हैं एवं वादी सम्पूर्ण आराजीयात के हक व हिस्से की घोषणा कराने का कानूनी अधिकारी हैं, पूर्व में भी अन्य आराजीयात के विषय में दावा डिक्री किया जा चुका हैं। उसमें जगदीश की मृत्यु की अवधारणा मानकर उसके हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से की आराजीयात का तकासमा किया जा चुका है, उसी अनुसार उक्त आराजीयात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विधिवत तकासमा कराने का अधिकारी हैं।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलवी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामील वर्ष 2021 से अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्राथमिक डिकी पर बहस सुनी गई वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के आराजी खसरा नम्बर 55 / 19 रकबा 0.54 हैक्टेयर वाके ग्राम चक जयसिंहपुरा पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील आमेर हाल तहसील जालसू में वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से का का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वाद प्राथमिक डिकी किया जाता है। तहसीलदार जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण को आदेशित किया जाता है कि वे बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा कर राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना गम्भीरता से करते हुए वाके ग्राम चक जयसिंहपुरा पटवार हल्का जयसिंहपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील आमेर हाल तहसील जालसू जयपुर ग्रामीण के आराजी खसरा नम्बर 55 / 19 रकबा 0.54 हैक्टेयर का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर घोषणा अनुसार तकासमा कर, जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार, उभयपक्ष की उपस्थिति में, उनको नोटिस देकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर तीन–तीन प्रतियों में भिजवाने का श्रम करें।

तहसीलदार जालसू ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक / भू0अ0 / 2025 / 4144 दिनांक 09.09.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। तद्नुसार तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. छाजूराम पुत्र नानगराम जाति– बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नं. 55 / 19 / 1 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति– बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नं. 55 / 19 / 2 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय हाजा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 20/2021
बउनवानी – छाजूराम बनाम जगदीश वगै0
निर्णय दिनांक :– 17.09.2025

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 20/2021 वाद प्रस्तुति दिनांक – 15.02.2021

छाजूराम पुत्र स्व० श्री नानगराम जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।

............वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र लादू (लापता) जाति बागडा निवासी ग्राम जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति बागडा निवासी ग्राम चक जयसिंहपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. छाजूराम पुत्र नानगराम जाति– बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नं. 55/19/1 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति– बागडा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नं. 55/19/2 रकबा 0.27 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार जालसू से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार जालसू को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.09.2025 को जारी किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:23 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत———
ओहदा———

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

प्रकरण संख्या – 2
बउनवानी – छाजूराम बनाम जग
निर्णय दिनांक :– 1

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर म्. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:23 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर के वाद संख्या 20/2021 उनवान छाजूराम बनाम जगदीश व अन्य मे प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2025 की पालना मे ग्राम प्रतापुराखुर्द के आराजी खसरा नंबर 55/19 कुल किता 1 कुल रकबा 0.54हेक्टेयर पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु नोटिस दिनांक 19.08.2025 की पालना मे आज दिनांक 26.08.2025 को बहमराह तहसीलदार जालसू भू.अ.नि. जयसिंहपूरा पटवार हल्का जयसिंहपूरा के साथ मोके पर उभयपक्षकारान की उपस्थति मे निम्न प्रकार कुरेजात रिपोर्ट तैयार की गई ।

जमाबंदी अनुसार वर्तमान प्रविष्टि

क्र. सं.	जमाबंदी अनुसार वर्तमान खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	छाजूराम पुत्र नानगराम हिस्सा 1/2 जगदीश पुत्र किशनाराम हिस्सा 1/2 जाति– बागडा ब्राह्मण सा–देह खातेदार	55/19	0.54		
	किता 1		0.54		

कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि

क्र. सं.	कुरेजात रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित प्रविष्टि	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	छाजूराम पुत्र नानगराम जाति– बागडा ब्राह्मण सा–देह खातेदार	55/19/1	0.27		
	किता 1		0.2700		
2	जगदीश पुत्र किशनाराम जाति– बागडा ब्राह्मण सा–देह खातेदार	55/19/2	0.27		
	किता 1		0.2700		

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:23 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील,जालसू

पक्षकार का विवरण

1. पक्षकार सं. 1

2. पक्षकार सं. 2

28/08/25

LW 28/8/2025

तहसीलदार (भू.अ.)
तहसील जालसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 14:55:23 IST
Reason: SelfAttested